

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 117/18

1. सतेंद्र सिंह भदौरिया पुत्र राजेंद्र सिंह भदौरिया
आयु 30 वर्ष।
2. श्रीमती रमादेवी पत्नी सतेंद्र सिंह भदौरिया आयु
28 वर्ष, निवासीगण ग्राम बिरगमा, थाना मेहगांव,
जिला भिण्ड, म.प्र.

---आवेदकगण

विरुद्ध

पुलिस थाना मौ

---अनावेदक

05-04-2018

आवेदक/आरोपीगण सतेंद्र सिंह व श्रीमती रमादेवी की ओर से श्री
के०सी० उपाध्याय अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक
अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना मौ से अपराध क्रमांक 04/18 अंतर्गत धारा 304-बी,
34 भा०दं०सं० एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की केस डायरी मय
कौफियत प्राप्त।

आवेदकगण की ओर से सूची अनुसार दस्तावेज पेश किये गये,
जिन्हें संलग्न अभिलेख किये गये।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री
के०सी० उपाध्याय द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438
दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम अग्रिम जमानत
आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या
माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ
है।

अतः जमानत आवेदन पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री के०सी० उपाध्याय द्वारा
प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 दं०प्र०सं० के संबंध में
निवेदन किया कि आवेदकगण के विरुद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध कर लिया
है, जबकि आवेदकगण का तथाकथित अपराध से किसी प्रकार का कोई
संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदकगण निर्दोष हैं। आवेदकगण द्वारा मृतिका
व उसके परिजनो से कभी भी दहेज की मांग नहीं की गई है। आवेदकगण
को यदि गिरफ्तार किया गया तो उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जायेगी।
आवेदकगण तहसील मेहगांव के स्थाई निवासी होकर संभ्रांत परिवार के
सदस्य हैं। अतः इन्हीं सब आधारों पर उन्हें अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने

का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने दहेज मृत्यु जैसे गंभीर अपराध किये जाने संबंधी आवेदकगण के कृत्य को गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये संपूर्ण केस डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन के अनुसार मृतिका जूली पत्नी गिर्राज द्वारा फांसी लगाकर मृत्यु कर लेने पर से थाना मौ में मर्मा क्रमांक 31/17 धारा 174 दं०प्र०सं० दर्ज करते हुये उसकी जांच के आधार पर ससुरालजन पति गिर्राज, ससुर रामप्रकाश, सास रेशमा, नन्देउ सतेंद्र सिंह, ननद रमादेवी द्वारा शादी दिनांक 20.06.14 के बाद से लगातार दहेज में 2 लाख रुपये व मोटरसाईकिल की मांग कर प्रताड़ित करना व उक्त प्रताड़ना के चलते जूली की मृत्यु दिनांक 17.10.17 को शादी से 7 वर्ष के भीतर सामान्य से भिन्न परिस्थितियों में होना पाई जाने पर आवेदकगण सहित अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना मौ में अपराध क्रमांक 04/18 अंतर्गत धारा 304-बी, 34 भा०दं०सं० एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है और वर्तमान परिवेश में इस तरह की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

अतः उपरोक्तानुसार अपराध की गंभीरता सहित मामले के संपूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को तथा प्रश्नगत घटना में आवेदकगण की करीबी नातेदार के रूप में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः उनकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं०प्र०सं० स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित संबंधित थाने को केस डायरी विधिवत वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस०के०गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड